BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 54/2025

In the matter of:

Yudhveer Singh Chauhan Applicant

versus

Uttarakhand Forest Department & Ors. Respondents

Index

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	**Reply on behalf of Central Pollution Control Board, (CPCB)** i.e Respondent No. 6 in compliance to Hon'ble NGT order dated 04.02.2025 in Original Application No. 54/2025.	
2.	**Annexure-1** A copy of Hon'ble NGT Order dated 04.02.2025.	
3.	**Annexure-2** A copy of letter dated 28.03.2025 issued by CPCB to Uttarakhand Krishi Upaj Viparan Board.	
4.	**Annexure-3** A copy of letter issued by Krishi Utpadan Mandi Samiti Vikasnagar (Dehradun) to CPCB dated 04.04.2025.	
5.	**Annexure-4** A copy of letter issued by Uttarakhand Pollution Control Board to CPCB dated 03.05.2025.	

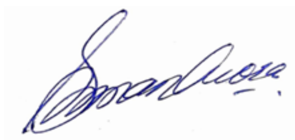

SUMAN ARORA—Counsel for CPCB
66, Ring Road, Lajpat Nagar 3
New Delhi – 110024
9811417151; 011 29847151
aroras16@gmail.com

Place: Delhi

Date: 09.05.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 54/2025

IN THE MATTER OF:

Yudhveer Singh Chauhan ... Applicant

Versus

Uttarakhand Forest Department & Ors. ... Respondent(s)

REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT No. 6, CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD (CPCB)

1. That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench (hereinafter referred to as the "Hon'ble NGT") vide Order dated 04.02.2025 in Original Application (hereinafter referred to as "OA") No. 54/2025 has sought the reply of CPCB in the instant matter. Thereby the reply is made in the succeeding paragraphs. A copy of the Order dated 04.02.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE- I.**

2. That at the outset, the answering respondent denies all claims, contentions, allegations and averments against answering respondent CPCB in the above OA contrary to anything stated or submitted in this reply. Nothing in the OA may be deemed to have been accepted

NOTARY RAJ KAMAL ARYA AREA : DELHI Regn. No. : 48565/25 GOVT. OF INDIA

- 9 MAY 2025

or admitted by the answering respondent for want of a specific denial or on the ground of non-traverse, save and except any averment which has been expressly admitted hereinafter.

3. That, CPCB is constituted under Section 3 of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. It performs the functions under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, and The Environment (Protection) Act, 1986.

BACKGROUND:

4. That, the issues raised in the referred OA are regarding cold storage project initiated by Mandi Samiti, Vikasnagar, Uttarakhand without obtaining necessary permissions, including prior approval for felling trees.

PRELIMINARY SUBMISSIONS:

5. That, in context of consent required to be obtained by the said project, it is also humbly submitted that, State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees are the concerned authorities to grant Consent (Consent to Establish/Consent to Operate) under the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981 in their respective jurisdiction of State/Union Territory and to ensure the compliance of conditions of consent and prescribed environmental standards.

NOTARY
RAJ KAMAL ARYA
AREA : DELHI
Regn. No. : 48565/25
GOVT. OF INDIA

- 9 MAY 2025

6. That, in context of cutting/felling of trees, this answering respondent humbly submits that, if the trees are situated on forest land, then violations, if any found with the trees, then the same are to be dealt by the respective agency as per provisions stipulated under the Indian Forest Act, 1927.

7. Further, as per Letter dated 30.01.2024 received from Uttarakhand Pollution Control Board in the matter OA No. 911/2022 (I. A. No. 14/2023 and I. A. No. 16/2023) titled ***Prof. Dr. Sanjeev Bagai & Ors.*** *Versus* ***Department of Environment, GNCTD & Ors.***, the felling and pruning of trees not falling under the purview of the Indian Forest Act, 1927 are regulated by the provision of the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976 (UPPT Act, 1976) which has been adapted in the State of Uttarakhand vide Uttaranchal Adaption and Modification Order, 2002.

8. That, letters dated 28.03.2025 seeking factual report in the matter had been sent to Uttarakhand Forest Department, Deputy Conservator of Forest (Kalsi, Dehradun), Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Uttarakhand Agricultural Produce Marketing Board (UKAPMB) and Vikasnagar Krishi Mandi, Vikasnagar, Dehradun Uttarakhand. Copy of CPCB letter dated 28.03.2025 is annexed as **ANNEXURE-2**.

NOTARY RAJ KAMAL ARYA AREA : DELHI Regn. No. : 48565/25 GOVT. OF INDIA

9. That, in response to CPCB letter dated 28.03.2025, a letter dated 04.04.2025 was received from Secretary, Krishi Utpadan Mandi

- 9 MAY 2025

Samiti Vikasnagar (Dehradun) with enclosed letters of Chief Horticulture Officer, Dehradun, Division Forest Officer, Kalsi Land Conservation Division, Kalsi and Directorate Uttarakhand Agriculture Produce Marketing Board Rudrapur (Udhamsingh Nagar). The same has been enclosed herewith as **ANNEXURE-3.** As per letter of Secretary, Krishi Utpadan Mandi Samiti Vikasnagar (Dehradun) dated 04.04.2025, proposed cold storage is being constructed by Construction Division of Uttarakhand Agriculture Production Marketing Borad, Rudrapur and the approval for felling of 18 trees which were obstructing the construction work on the land selected for construction of above cold storage was given by Chief Horticulture Officer, Dehradun vide office letter number 3294 dated 19.11.2024.Further, it is informed by Secretary, Krishi Utpadan Mandi Samiti Vikasnagar (Dehradun) that the evaluation of trees was done by the Division Forest Officer, Kalsi Land Conservation Division, Kalsi vide Office Letter dated 27.11.2024 and approval for cutting/ auction of trees was given by the Directorate Uttarakhand Agriculture Produce Marketing Board Rudrapur (Udhamsingh Nagar) vide office letter dated 07.12.2024.

10.That, in response to CPCB letter dated 28.03.2025, a letter dated 03.05.2025 was received from Member Secretary, Uttarakahand Pollution Control Board enclosing report of regional officer, Dehradun Uttarakhand Pollution Control Board.The same has been enclosed herewith as **ANNEXURE-4.** As per report it is informed that Mandi Samiti Vikas Nagar has not obtained CTE from Uttarakhand

NOTARY RAJ KAMAL ARYA AREA : DELHI Regn. No.: 48565/25 GOVT. OF INDIA 9 MAY 2025

Pollution Control Board. During inspection, Regional Officer, Dehradun has found 14 live mango trees and observed that 18 mango trees were cut down out of total 32 mango trees, approval of which was granted by letter 3294/trees cutting / 2025 dated 19.11.2024 issued by Chief Horticulture Officer, Dehradun.

PARAWISE REPLY:

11. That, the averments made in Paragraph No. 1 to 8 under the heading "FACTS OF THE CASE' are stating about initiation of cold storage project by Mandi Samiti, Vikas Nagar on Government land without obtaining necessary permissions, including approval for aged mango trees felling, auction notice for mango trees, prior allotment for another Cold Storage at Vikas Nagar Mandi; earlier proposed alternative development; lack of afforestation by Vikas Nagar Mandi; possible effects of said activities etc.In this context, submissions made in preliminary submissions above are reiterated and the same are not repeated for the sake of brevity.

12. That, the averments made under Paragraph Nos. 1 to 9 under heading "GROUNDS" are about the various Grounds for filing the present Original Application e.g. Violation of Environmental Laws, Non-Compliance with EIA Notification, 2006, Conflicting and Misleading Reports, Unnecessary Project, Violation of Public Trust Doctrine, Failure to Explore Alternatives, Lack of Compensatory Measures, Harm to Local Ecology and Livelihoods, Procedural Lapses etc. In this context, submissions made in Preliminary Submissions above are reiterated and the same are not repeated for the sake of brevity.

NOTARY RAJ KAMAL ARYA AREA: DELHI Regn. No.: 48565/23 GOVT. OF INDIA

- 9 MAY 2025

13. That, the averments made under the heading "LIMITATION" (Paragraph Nos. 1 to 4), "PRAYERS" (Paragraph Nos. 1 to 6) are about limitation and various prayers submitted by the Applicant and hence, need no comments from this Answering Respondent.

14. That the issues raised in the instant matter is primarily falls under the purview of state-specific agencies such as Krishi Utpadan Mandi Samiti,Uttarakhand Forest Department, Deputy Conservator of Forest (Kalsi, Dehradun), SEIAA Uttarakhand and Uttarakhand State Pollution Control Board therefore, it is respectfully prayed that the Hon'ble Tribunal may consider the submission made by concerned respondents for adjudication of the instant matter.

15. That, the answering respondent no. 6 craves leave of the Hon'ble Tribunal to file additional reply, if required, in future.

16. That, in the light of the above submissions, it is respectfully submitted that this Answering Respondent, i.e., CPCB, shall abide by any order(s) or direction(s) passed by this Hon'ble Court in the instant OA.

Sharandeep

(Sharandeep Singh)
Scientist 'E'
Central Pollution Control Board

NOTARY
RAJ KAMAL ARYA
AREA : DELHI
Regn. No. : 48565/25
GOVT. OF INDIA
- 0 MAY 2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 54/2025

IN THE MATTER OF:

Yudhveer Singh Chauhan ... Applicant

Versus

Uttarakhand Forest Department & Ors. ... Respondent(s)

AFFIDAVIT

I, **Sharandeep Singh**, aged about 45 years in the capacity of Scientist-E, having office at the Delhi, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi, do hereby solemnly affirm and sincerely state on oath as follows: -

1. That, I, the deponent herein is well conversant with the facts and circumstances of the present case on the basis of the information derived from the official records, and hence, I am competent to verify, sign and swear this affidavit on behalf of the Respondent CPCB.

2. That, the accompanying reply may be read as part and parcel of the present affidavit.

NOTARY
RAJ KAMAL ARYA
AREA : DELHI
Regn. No. : 48565/25
GOVT. OF INDIA

- 9 MAY 2025

3. That, the accompanying reply has been drafted and filed under my instructions and authority the contents thereof are true and correct on the basis of the records maintained during ordinary course of business of CPCB and available records and documents and the contents of the same are read over and explained to me and are not repeated herein for the sake of brevity.

Sharandeep

DEPONENT

शरणदीप सिंह / Sharandeep Singh
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(M/o Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली–110032
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

VERIFICATION

Verified at Delhi on this day of 9 MAY 2025 2025 that the contents of the above reply are correct and true on the basis of the records of the case as mentioned in the day-to-day affairs of the CPCB. Nothing has been concealed therefrom or mis- stated.

Sharandeep

DEPONENT

शरणदीप सिंह / Sharandeep Singh
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(M/o Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली–110032
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

NOTARY
RAJ KAMAL ARYA
AREA : DELHI
Regn. No. : 48565/25
GOVT. OF INDIA

ATTESTED

NOTARY PUBLIC, DELHI
GOVT. OF INDIA
- 9 MAY 2025

Item No. 05 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 54/2025

Yudhveer Singh Chauhan Applicant

Versus

Uttarakhand Forest Department & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 04.02.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Yudhveer Chauhan, Applicant in Person (Through VC)

ORDER

1. In this original application, allegation of the applicant is that in the implementation of cold storage project initiated by Mandi Samiti, Vikasnagar, Uttarakhand there is an apprehension of felling of 18-32 mango trees.

2. Submission of the applicant is that as per the earlier report there were 32 mango trees existing at the site and that in the joint inspection report at page 17, it was also noted that 32 mango trees were standing on the site and before starting the project there should be no tree at the site. The applicant has also referred to the auction notice on page 20 relating to the open auction of 18 standing mango trees. He has submitted that in the meanwhile on 14.01.2025, 18 mango trees have been cut but 14 mango trees are still remaining. He submits that no permission from the competent authority was taken for the felling of these mango trees.

3. The original Application raises substantial issues relating to compliance of environmental norms.

4. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit at least one week before the next hearing date. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

5. In the meanwhile, respondent no.2-Deputy Conservator of Forest (Kalsi, Dehradun) and other authorities of Uttarakhand Forest Department will ensure that no illegal felling of trees takes place in the execution of the project concerned.

6. List on 14.05.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 04, 2025
Original Application No. 54/2025
JG..

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ Regional Directorate, Lucknow
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India)

LiFE Lifestyle for Environment

File No.: CM-13011/34/2025-LAW-HO-CPCB-HO | 1241 दिनाँक: 28.03.2025

सेवा में ,

उत्तराखंड कृषि उपज विपणन बोर्ड
मंडी भवन, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड -248001

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दायर ओ०ए० संख्या 54/2025 "युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखंड एवं अन्य" में पारित आदेश दिनाँक 04.02.2025 के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ०ए० संख्या 54/2025 युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तरखड़ एवं अन्य" में पारित आदेश दिनाँक 04.02.2025 (प्रति संलग्न) और आवेदक के आवेदन (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि विकास नगर कृषि मंडी, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण तथा वृक्षों के कटान से संबंधित है। उक्त आदेश दिनाँक 04.02.2025 द्वारा बारह प्रतिवादी बनाये गए है एवं अग्रिम सुनवाई दिनाँक 14.05.2025 को निर्धारित की गयी है।

अतः आप से अनुरोध है कि उक्त संदर्भ में वर्तमान कार्यो की स्थिति, प्रस्तावित कार्य-योजना की तथ्यात्मक सूचना, विवरण, वृक्षों के कटान तथा आपके विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश आदि की सूचना एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय
28/3/25
(कमल कुमार)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. प्रभाग प्रभारी, यू० पी० सी० -I प्रभाग, के० प्र० नि० बो०, नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ।
2. प्रभाग प्रभारी, विधि प्रभाग, के० प्र० नि० बो०, नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ।

(क्षेत्रीय निदेशक)

"पिकप भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010 (उ.प्र.)
"PICUP Bhawan", Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010 (U.P.)
EPABX दूरभाष : 0522-4087600, 4087700
दूरभाष / Tel. : 0522-4087601, 2721915
ई मेल / e-mail : rdlucknow.cpcb@gov.in, cpcb.lucknow@gmail.com

प्रधान कार्यालय/Head Office
"परिवेश भवन", ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली-110 032
"Parivesh Bhawan", East Arjun Nagar, Delhi-110 032
EPABX दूरभाष/ Tel. : 011-43102030, 22303717
वेबसाईट/website:http://www.cpcb.nic.in

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ Regional Directorate, Lucknow
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India)

File No.: CM-13011/34/2025-LAW-HO-CPCB-HO | 1344 दिनाँक: 28.03.2025

सेवा में ,

विकास नगर कृषि मंडी, विकासनगर
देहरादून, उत्तराखंड-248198

विषय: मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दायर ओ॰ ए॰ संख्या 54/2025 "युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखंड एवं अन्य " में पारित आदेश दिनाँक 04.02.2025 के संदर्भ मे ।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ॰ए॰ संख्या 54/2025 ''युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखंड एवं अन्य'' में पारित आदेश दिनाँक 04.02.2025 (प्रति संलग्न) और आवेदक के आवेदन (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि विकास नगर कृषि मंडी, विकास नगर, देहरादून,उत्तराखंड द्वारा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण तथा वृक्षों के कटान से संबंधित है । उक्त आदेश दिनाँक 04.02.2025 द्वारा बारह प्रतिवादी बनाये गए है एवं अग्रिम सुनवाई दिनाँक –14.05.2025 को निर्धारित की गयी है।

अतः आप से अनुरोध है कि उक्त संदर्भ में वर्तमान कार्यों की स्थिति, प्रस्तावित कार्य-योजना की तथ्यात्मक सूचना, विवरण वृक्षों के कटान तथा आपके विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश आदि की सूचना एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

भवदीय

28/3/25
(कमल कुमार)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. प्रभाग प्रभारी, यू॰ पी॰ सी॰ -I प्रभाग, के॰ प्र॰ नि॰ बो॰, नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ ।
2. प्रभाग प्रभारी, विधि प्रभाग, के॰ प्र॰ नि॰ बो॰, नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ ।

(क्षेत्रीय निदेशक)

"पिकप भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010 (उ.प्र.)
"PICUP Bhawan", Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010 (U.P.)
EPABX दूरभाष : 0522-4087600, 4087700
दूरभाष / Tel. : 0522-4087601, 2721915
ई मेल / e-mail : rdlucknow.cpcb@gov.in, cpcb.lucknow@gmail.com

प्रधान कार्यालय/Head Office
"परिवेश भवन", ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली-110 032
"Parivesh Bhawan", East Arjun Nagar, Delhi-110 032
EPABX दूरभाष/ Tel. : 011-43102030, 22303717
वेबसाईट/website:http://www.cpcb.nic.in

स्वर्ण जयंती वर्ष
CPCB
LiFE Lifestyle for Environment

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ Regional Directorate, Lucknow
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India)

File No.: CM-13011/34/2025-LAW-HO-CPCB-HO|1242 दिनाँक: 28.03.2025

सेवा में ,

उप वन संरक्षक
(कालसी देहरादून)
कालसी, देहरादून, उत्तराखंड- 248158

विषय: मा॰ राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दायर ओ॰ए॰ संख्या 54/2025 "युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखंड एवं अन्य" में पारित आदेश दिनाँक 04.02.2025 के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ॰ए॰ संख्या 54/2025 युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तरखड़ एवं अन्य" में पारित आदेश दिनाँक 04.02.2025 (प्रति संलग्न) और आवेदक के आवेदन (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि विकास नगर कृषि मंडी, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण तथा वृक्षों के कटान से संबंधित है। उक्त आदेश दिनाँक 04.02.2025 द्वारा बारह प्रतिवादी बनाये गए है एवं अग्रिम सुनवाई दिनाँक 14.05.2025 को निर्धारित की गयी है।

अतः आप से अनुरोध है कि उक्त संदर्भ में वर्तमान कार्यों की स्थिति, प्रस्तावित कार्य-योजना की तथ्यात्मक सूचना, विवरण, वृक्षों के कटान तथा आपके विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश आदि की सूचना एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय
(कमल कुमार) 2/3/25
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. प्रभाग प्रभारी, यू॰ पी॰ सी॰ -I प्रभाग, के॰ प्र॰ नि॰ बो॰, नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ।
2. प्रभाग प्रभारी, विधि प्रभाग, के॰ प्र॰ नि॰ बो॰, नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ।

(क्षेत्रीय निदेशक)

"पिकप भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010 (उ.प्र.)
"PICUP Bhawan", Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010 (U.P.)
EPABX दूरभाष : 0522-4087600, 4087700
दूरभाष / Tel. : 0522-4087601, 2721915
ई मेल / e-mail : rdlucknow.cpcb@gov.in, cpcb.lucknow@gmail.com

प्रधान कार्यालय/Head Office
"परिवेश भवन", ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली-110 032
"Parivesh Bhawan", East Arjun Nagar, Delhi-110 032
EPABX दूरभाष/ Tel. : 011-43102030, 22303717
वेबसाईट/website:http://www.cpcb.nic.in

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ Regional Directorate, Lucknow
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India)

File No.: CM-13011/34/2025-LAW-HO-CPCB-HO/1243 दिनाँक: 28.03.2025

सेवा में ,

वन विभाग उत्तराखंड
85, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड -248198

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दायर ओ०ए० संख्या 54/2025 "युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखंड एवं अन्य" में पारित आदेश दिनाँक 04.02.2025 के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ०ए० संख्या 54/2025 युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तरखड़ एवं अन्य" में पारित आदेश दिनाँक 04.02.2025 (प्रति संलग्न) और आवेदक के आवेदन (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि विकास नगर कृषि मंडी, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण तथा वृक्षों के कटान से संबंधित है। उक्त आदेश दिनाँक 04.02.2025 द्वारा बारह प्रतिवादी बनाये गए है एवं अग्रिम सुनवाई दिनाँक 14.05.2025 को निर्धारित की गयी है।

अतः आप से अनुरोध है कि उक्त संदर्भ में वर्तमान कार्यो की स्थिति, प्रस्तावित कार्य-योजना की तथ्यात्मक सूचना, विवरण, वृक्षों के कटान तथा आपके विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश आदि की सूचना एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

28/3/25
(कमल कुमार)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. प्रभाग प्रभारी, यू० पी० सी० -I प्रभाग, के० प्र० नि० बो०, नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ।
2. प्रभाग प्रभारी, विधि प्रभाग, के० प्र० नि० बो०, नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ।

(क्षेत्रीय निदेशक)

"पिकप भवन", विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010 (उ.प्र.)
"PICUP Bhawan", Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010 (U.P.)
EPABX दूरभाष : 0522-4087600, 4087700
दूरभाष / Tel. : 0522-4087601, 2721915
ई मेल / e-mail : rdlucknow.cpcb@gov.in, cpcb.lucknow@gmail.com

प्रधान कार्यालय/Head Office
"परिवेश भवन", ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली-110 032
"Parivesh Bhawan", East Arjun Nagar, Delhi-110 032
EPABX दूरभाष/ Tel. : 011-43102030, 22303717
वेबसाईट/website:http://www.cpcb.nic.in

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ Regional Directorate, Lucknow
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India)

File No.: CM-13011/34/2025-LAW-HO-CPCB-HO | 1839 दिनाँक: 28.03.2025

सेवा में ,

उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20,नेमी रोड, देहरादून, उत्तराखंड -248001

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दायर ओ०ए० संख्या 54/2025 "युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखंड एवं अन्य" में पारित आदेश दिनाँक 04.02.2025 के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ०ए० संख्या 54/2025 युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तरखड़ एवं अन्य" में पारित आदेश दिनाँक 04.02.2025 (प्रति संलग्न) और आवेदक के आवेदन (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि विकास नगर कृषि मंडी, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण तथा वृक्षों के कटान से संबंधित है। उक्त आदेश दिनाँक 04.02.2025 द्वारा बारह प्रतिवादी बनाये गए है एवं अग्रिम सुनवाई दिनाँक 14.05.2025 को निर्धारित की गयी है।

अतः आप से अनुरोध है कि उक्त संदर्भ में वर्तमान कार्यों की स्थिति, प्रस्तावित कार्य-योजना की तथ्यात्मक सूचना, विवरण, वृक्षों के कटान तथा आपके विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश आदि की सूचना एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(कमल कुमार) 28/3/25
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. प्रभाग प्रभारी, यू० पी० सी० -I प्रभाग, के० प्र० नि० बो०, नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ।
2. प्रभाग प्रभारी, विधि प्रभाग, के० प्र० नि० बो०, नई दिल्ली : सादर सूचनार्थ।

(क्षेत्रीय निदेशक)

Annexure - 3

ई–मेलः vikashnagar.mandi@gmail.com

कार्यालय

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, विकासनगर

नवीन मण्डी स्थल, विकासनगर, (देहरादून)

पत्रांक : कृ0उ0म0स0 / 2025–26 / 19 — दिनांक : 04 / 04 / 2025

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ0ए0 संख्या 54 / 2025 "युद्धवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखण्ड एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक आपके कार्यालय File No.:CM-13011/34/2025-LAW-HO-CPCB-HO/1244 दिनांक 28.03.2025 के कम में अवगत कराना है कि इस समिति द्वारा कृषक हित में प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज एवं मा0 कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गयी घोषणा के कम में प्रस्तावित गोदाम निर्माण कार्यों की स्वीकृति उपरांत उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर के निर्माण खण्ड, देहरादून द्वारा मण्डी परिसर में कोल्ड स्टोरेज एवं गोदामों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उक्त के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर निर्माण कार्य में अवरूद्ध 18 वृक्षों की पातन स्वीकृति मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 3294 दिनांक 19.11.2024 (संलग्न) द्वारा प्रदान की गयी। तदोपरांत प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के कार्यालय पत्रांक 1767 / 9–1 कालसी, दिनांक 27.11.2024 (संलग्न) द्वारा वृक्षों का मूल्यांकन एवं निदेशालय, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) के कार्यालय पत्रांक 1946 दिनांक 07.12.2024 (संलग्न) द्वारा वृक्षों को कटवाने / नीलामी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति उपरांत इस समिति द्वारा मण्डी परिसर में खडे 18 वृक्षों की खुली बोली द्वारा नीलामी की गयी।

यह भी संज्ञान में लाना है कि समिति द्वारा कृषक / जनहित में निर्माण कार्यों के प्रस्ताव किये जाते हैं। उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर द्वारा प्रदत्त स्वीकृति उपरांत निर्माण खण्ड, द्वारा निर्माण कार्य कराये जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज एवं गोदामों का निर्माण कार्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो कि लगभग पूर्ण होने को है। उक्तानुसार सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः— उक्तानुसार।

भवदीय,

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहरादून)

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक / वृक्षपातन/2024-25/ दिनांक 19/11/2024

सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर देहरादून के पत्र सं0 1075/कृ.उ.म.स./2024/दिनांक 16.11.24 एवं सचिव समिति के निरीक्षण आख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्ति) की अधिनियम की धारा-3की उपधारा(III) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार वृक्षों की पातन अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं	प्रजाति	प्लाट में कुल वृक्षों की संख्या	पातन वृक्षों का व्यास (वर्ग फिट में)	पातन वृक्षों की संख्या	प्रभारी की आख्या के अनुसार
1	आम	32	4-5फिट(5) आम 3-4फिट(2) आम 7-8फिट(2) आम 4-5फिट(1) आम 3-4फिट(1) आम 4-5फिट(3) आम 3-4फिट(2) आम 6-7फिट(1) आम 2-3फिट(1) आम	18आम	खतौनी/ खसरा- 139 में 18 आम वृक्ष जो रास्ते को अवरुद्ध एवं जीर्ण शीर्ण होने के कारण पातन की संस्तुति के आधार पर। जिसमें 09 वृक्ष चाहरदीवारी के अन्दर, 02 सड़क किनारे एवं 7 बाउण्ड्री के बाहर खड़े है।

उक्त वृक्ष पातन की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है।

1. पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन तक के लिए यह पातन अनुज्ञा वैध होगी। भू-स्वामी द्वारा निश्चित रूप से इस अवधि में उक्त वृक्षों का पातन करना होगा।
2. पत्र जारी होने की तिथि से 01माह के अन्दर उक्त वृक्षों के पातन के पश्चात आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड इमारती लकडी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली-2012 के प्राविधानानुसार प्रकाष्ठ के निकासी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. उक्त पेड़ों का पातन सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद नही किया जायेगा।
4. उक्त पेड़ों के पातन स्थलों का निरीक्षण उद्यान विभाग के किसी भी क्षेत्रीय ज्ये0उ0नि0/प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र या नामित कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
5. उक्त पेड़ों के पातन हेतु भू-स्वामी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी तथ्य का किसी भी समय असत्य पाये जाने पर पातन अनुज्ञा को स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
6. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृति) की धारा-7 के प्राविधानानुसार प्रत्येक पातित वृक्ष के सापेक्ष दुगने संख्या में पौधों का रोपण चिन्हित स्थलों पर भू-स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। रोपित पौधों की देख-रेख सम्बन्धित भू-स्वामी द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन, प्रजाति का चयन, व रोपित पौध की जीवितता सम्बन्धित उद्यान विभग के प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उक्तानुसार भू-स्वामी द्वारा वृक्षारोपण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने की दशा में भू-स्वामी के व्यय पर विभागीय वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।
8. उक्तानुसार पातन स्थल पर किसी प्रकार की अवैध पातन के लिए भू-स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा। तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित धाराओं में कार्यवाही अपनाइ जायेगी।
9. उक्त पातन अनुज्ञा प्रभारी की संस्तुति एवं निरीक्षण उपरान्त निर्गत की गई है। उक्त वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

उक्त शर्तो/प्रतिबन्धों के उल्लघंन होने की दशा में प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृति) की धारा-15 की उपधारा(1) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी
देहरादून।

पत्रांक 3294 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर देहरादून।
2. प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र विकासनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वृक्षो का पातन अपने सम्मुख करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपकी जिम्मेदारी नियत की जाती है।
3. थानाध्यक्ष विकासनगर देहरादून।
4. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कालसी जनपद देहरादून।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
देहरादून।

श्रीमती रेणु बडोनी क0 150

19-11-24

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।
पत्रांक– 1767/9-1 कालसी, दिनांक 27-11- 2024

सेवा में,

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
विकासनगर, देहरादून।

विषय– वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–कृ0उ0म0स0/2024/1079, दिनांक 19.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर 32 आम के वृक्ष मौजूद हैं, जिसमें निर्माणाधीन चाहरदीवारी के भीतर 09 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज मार्ग पर 06 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज के पीछे 01 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज के प्रवेश द्वार पर 02 कुल 18 वृक्ष अनुपयोगी हैं, जो निर्माण कार्य में अवरूद्ध हैं, जिनके पातन की अनुमति मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 3294/वृक्षपातन/2024–25, दिनांक 19.11.2024 से प्रदान की गई है तथा आपके द्वारा उक्त वृक्षों के पातन से पूर्व उक्त वृक्षों के मूल्यांकन हेतु अनुरोध किया गया उक्त प्रकरण की जांच वन क्षेत्राधिकारी, चौहड़पुर रेंज के पत्रांक–447/9, दिनांक 27.11.2024 द्वारा जांच आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, विकासनगर के परिसर में गोदाम एवं कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य में 18 आम के हरे वृक्ष बाधा उत्पन्न करे रहें हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर वृक्ष का मूल्यांकन निम्न प्रकार आंका गया है–

क्र0 सं0	प्रजाति/प्रकृति	गोलाई (मी0)	व्यास वर्ग	श्रेणी	आयतन (घ0मी0)	वृक्षों की सं0	गुणांक	दर	धनराशि
1	आम हरा खड़ा	1.40	4–5	U	0.890	3	1/3	5742.00	5742.00
2	आम हरा खड़ा	1.15	3–4	U	0.460	2	1/3	2871.00	1914.00
3	आम हरा खड़ा	1.40	4–5	F	0.890	1	2/3	5742.00	3828.00
4	आम हरा खड़ा	1.30	4–5	F	0.890	1	2/3	5742.00	3828.00
5	आम हरा खड़ा	1.10	3–4	U	0.460	1	1/3	2871.00	957.00
6	आम हरा खड़ा	1.45	4–5	U	0.890	3	1/3	5742.00	5742.00
7	आम हरा खड़ा	1.20	3–4	U	0.460	2	1/3	2871.00	1914.00
8	आम हरा खड़ा	1.90	6–7	U	2.190	1	1/3	14467.00	4822.00
9	आम हरा खड़ा	1.10	3–4	F	0.460	1	2/3	2871.00	1914.00
10	आम हरा खड़ा	2.25	7–8	U	3.040	1	1/3	21632.00	7210.00
11	आम हरा खड़ा	2.20	6–7	F	2.190	1	2/3	14467.00	9645.00
12	आम हरा खड़ा	0.85	2–3	U	0.140	1	1/3	675.00	225.00
					कुल योग	18	वृक्ष		47741.00

उक्त वृक्षों की निकासी हेतु पृथक से उच्चतम बोलीदाता को ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

श्रीमती रेनु बर्थवाल (हस्ताक्षर) 28/11-24

प्रतिलिपि : उप–प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : वन क्षेत्राधिकारी, चौहड़पुर रेंज को उनके पत्र संख्या–447/9 दिनांक 27.11.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

Revenue 2022

फोन-- 05944 – 250057 फैक्स – 250059
वेबसाइट http://www.uamandi.org

निदेशालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

पत्रांकः उ0कृ0उ0वि0बो0 / विकासनगर / 2024– 1946 दिनांकः 07/12/2024

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
विकासनगर।

विषय– मण्डी समिति, विकासनगर परिसर में स्थित वृक्षों को कटवाने विषयक।

उपरोक्त विषयक समिति पत्रांक कृ0उ0म0स0 / 2024–25–1807 दिनांक 28.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, तराई वन प्रभाग, कालसी के कार्यालय पत्रांक 91 दिनांक 27.11.2024 में मूल्यांकन / पातन की सशर्त रिपोर्ट संलग्न करते हुये वृक्षों को पातन / नीलाम किये जाने की विभागीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अतः मण्डी स्थल, विकासनगर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर खडे 18 आम के वृक्षों को कटवाने / नीलामी किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती हैं कि उक्त वृक्षों को कटवाने / नीलामी किये जाने एवं परिवहन इत्यादि हेतु प्रचलित सभी सुसंगत अधिनियम एवं नियमावलियों एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का समुचित रूप से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्राप्तांक 234
दिनांक 07/12/24

(निर्मला बिष्ट)
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–
1–प्रबन्ध निदेशक, महोदय उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर को सूचनार्थ।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, तराई वन प्रभाग, कालसी।
3– उप महाप्रबन्धक(वि0 / यॉ0)उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, देहरादून।

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

श्रीमती रेनु बडोनी व0लि0
07/12/24

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–878 / 2025 / २०९ दिनांक ३.05.2025

स्पीड पोस्ट / ई–मेल द्वारा

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
"पिकप भवन", विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–54 / 2025 युधवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखण्ड एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक CM-13011/34/2025-Law-HO-CPCB-HO/1839 दिनांक 28.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। जो कि विकासनगर कृषि मंडी, विकासनगर, देहरादून द्वारा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण तथा वृक्षों के कटान के सम्बन्ध में है। प्रकरण में क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा दिनांक 24.04.2025 को स्थल का निरीक्षण किया गया जिसकी प्रति संलग्नक कर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

UTTARAKHAND UKPCB

LiFE Lifestyle For Environment

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

टेली फोन नं.–0135–3593200

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/एन0जी0टी0–130 /2025–26/ 355 – 250 दिनांकः 25/04/25

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून।

विषय– **मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–54/2025 युद्धवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखण्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 के अनुपालन में निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–54/2025 युद्धवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखण्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा–183–878/2025/22 दिनांक 03.04.2025 के अनुपालन में विषयगत् प्रकरण पर इस कार्यालय द्वारा श्री प्रीतम डिमरी (मण्डी निरीक्षक) व शिकायतकर्ता श्री युद्धवीर सिंह चौहान की उपस्थिति में दिनांक 24.04.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

25/04/2025

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–54/2025 युद्धवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखण्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 के अनुपालन में निरीक्षण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–यूकेपसीबी/एच.ओ./सा0–183–878/2025/22 दिनांक 03.04.2025 के अनुपालन में विकासनगर कृषि मण्डी समिति विकास नगर देहरादून का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.04.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री प्रीतम डिमरी (मण्डी निरीक्षक) व शिकायतकर्ता श्री युद्धवीर सिंह चौहान उपस्थित थे।

1. प्रकरण विकासनगर कृषि मण्डी देहरादून द्वारा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण एवं वृक्षों के पातन से सम्बन्धित है।
2. निरीक्षण के समय पाया गया कि मण्डी समिति विकासनगर द्वारा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में कार्यालय प्रभागी वनाधिकारी, कालसी–भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के पत्र संख्या–1767/9–1 कालसी दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से 18–वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में मूल्यांकन कर विवरण कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर को प्रेषित किया गया है। **(संलग्नक–1)**
3. निदेशालय उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड मण्डी भवन रूद्रपुर, उधमसिंह नगर के पत्रांक–उ0कृ0उ0वि0बो0/विकासनगर/2024–1946 दिनांक 07.12.2024 के माध्यम से वृक्षों के कटान की सशत स्वीकृति निर्गत की गई है। **(संलग्नक–2)**
4. कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून के पत्रांक संख्या–3294/वृक्ष पातन/2025 दिनांक 19.11.2024 के माध्यम से उक्त वर्णित स्थल पर 18–आम के वृक्षों के पातन की स्वीकृति दी गई है। **(संलग्नक–3)**
5. निरीक्षण के दौरान वर्तमान कार्यों की स्थिति एवं प्रस्तावित कार्य योजना के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल पर 1000 (100x 10) मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना का कार्य गतिमान है। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज के समीप लगे हुए 14–आम के वृक्ष जीवित पाये गये। कुल 32–वृक्षों में से 18 वृक्षों का पातन किया गया, जिसकी स्वीकृति कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून के पत्रांक संख्या–3294/वृक्ष पातन/2025 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा प्राप्त की गई है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैं। **(संलग्नक–4)**
6. मण्डी समिति विकास नगर द्वारा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0 अधिकारी

25/04/2025
(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

सम्लंक -1

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 1767/9-1 कालसी, दिनांक 27-11- 2024

सेवा में,

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
विकासनगर, देहरादून।

विषय– वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–कृ0उ0म0स0/2024/1079, दिनांक 19.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर 32 आम के वृक्ष मौजूद हैं, जिसमें निर्माणाधीन चाहरदीवारी के भीतर 09 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज मार्ग पर 06 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज के पीछे 01 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज के प्रवेश द्वार पर 02 कुल 18 वृक्ष अनुपयोगी हैं, जो निर्माण कार्य में अवरूद्ध हैं, जिनके पातन की अनुमति मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 3294/वृक्षपातन/2024–25, दिनांक 19.11.2024 से प्रदान की गई है तथा आपके द्वारा उक्त वृक्षों के पातन से पूर्व उक्त वृक्षों के मूल्यांकन हेतु अनुरोध किया गया उक्त प्रकरण की जांच वन क्षेत्राधिकारी, चौहड़पुर रेंज के पत्रांक–447/9, दिनांक 27.11.2024 द्वारा जांच आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, विकासनगर के परिसर में गोदाम एवं कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य में 18 आम के हरे वृक्ष बाधा उत्पन्न करे रहें हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर वृक्ष का मूल्यांकन निम्न प्रकार आंका गया है–

क्र0 सं0	प्रजाति/प्रकृति	गोलाई (मी0)	व्यास वर्ग	श्रेणी	आयतन (घ0मी0)	वृक्षों की सं0	गुणांक	दर	धनराशि
1	आम हरा खडा	1.40	4–5	U	0.890	3	1/3	5742.00	5742.00
2	आम हरा खडा	1.15	3–4	U	0.460	2	1/3	2871.00	1914.00
3	आम हरा खडा	1.40	4–5	F	0.890	1	2/3	5742.00	3828.00
4	आम हरा खडा	1.30	4–5	F	0.890	1	2/3	5742.00	3828.00
5	आम हरा खडा	1.10	3–4	U	0.460	1	1/3	2871.00	957.00
6	आम हरा खडा	1.45	4–5	U	0.890	3	1/3	5742.00	5742.00
7	आम हरा खडा	1.20	3–4	U	0.460	2	1/3	2871.00	1914.00
8	आम हरा खडा	1.90	6–7	U	2.190	1	1/3	14467.00	4822.00
9	आम हरा खडा	1.10	3–4	F	0.460	1	2/3	2871.00	1914.00
10	आम हरा खडा	2.25	7–8	U	3.040	1	1/3	21632.00	7210.00
11	आम हरा खडा	2.20	6–7	F	2.190	1	2/3	14467.00	9645.00
12	आम हरा खडा	0.85	2–3	U	0.140	1	1/3	675.00	225.00
					कुल योग	18	वृक्ष		47741.00

उक्त वृक्षों की निकासी हेतु पृथक से उच्चतम बोलीदाता को ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

श्रीमती रेनु बेक्टी... 28/11/24

प्रतिलिपि : उप–प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन क्षेत्राधिकारी, चौहड़पुर रेंज को उनके पत्र संख्या–447/9 दिनांक 27.11.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

Revenue 2022

संलग्नक (2)

फोन– 05944 – 250057 फैक्स – 250059
वेबसाइट http://www.upmandi.org

निदेशालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

पत्रांकः उ0कृ0उ0वि0बो0 / विकासनगर / 2024– 1946 दिनांकः 07/12/2024

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
विकासनगर।

विषय– मण्डी समिति, विकासनगर परिसर में स्थित वृक्षों को कटवाने विषयक।

उपरोक्त विषयक समिति पत्रांक कृ0उ0म0स0 / 2024–25–1807 दिनांक 28.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, तराई वन प्रभाग, कालसी के कार्यालय पत्रांक 91 दिनांक 27.11.2024 में मूल्यांकन / पातन की सशर्त रिपोर्ट संलग्न करते हुये वृक्षों को पातन / नीलाम किये जाने की विभागीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अतः मण्डी स्थल, विकासनगर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर खडे 18 आम के वृक्षों को कटवाने / नीलामी किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती हैं कि उक्त वृक्षों को कटवाने / नीलामी किये जाने एवं परिवहन इत्यादि हेतु प्रचलित सभी सुसंगत अधिनियम एवं नियमावलियों एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का समुचित रूप से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्राप्तांक 2234
दिनांक 07/12/24

(निर्मला बिष्ट)
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–
1–प्रबन्ध निदेशक, महोदय उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर को सूचनार्थ।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, तराई वन प्रभाग, कालसी।
3– उप महाप्रबन्धक(वि0 / यॉ0)उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, देहरादून।

श्रीमती रेनु बडोनि व0स0
07/12/24

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

संलग्नक-(3)

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक / वृक्षपातन/2024-25/ दिनांक 19/11/2024

सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर देहरादून के पत्र सं0 1075/कृ.उ.म.स./2024/दिनांक 10.11.24 एवं गठित समिति के निरीक्षण आख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्ति) की अधिनियम की धारा-3की उपधारा(III) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार वृक्षों की पातन अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं	प्रजाति	प्लाट में कुल वृक्षों की संख्या	पातन वृक्षों का व्यास (फुट फिट में)	पातन वृक्षों की संख्या	प्रभारी की आख्या के अनुसार
1	आम	32	4-5फिट(5) आम 3-4फिट(2) आम 7-8फिट(2) आम 4-5फिट(1) आम 3-4फिट(1) आम 4-5फिट(3) आम 3-4फिट(2) आम 6-7फिट(1) आम 2-3फिट(1) आम	18आम	खतौनी/ खसरा- 139 में 18 आम वृक्ष जो रास्ते को अवरुद्ध एवं जीर्ण शीर्ण होने के कारण पातन की संस्तुति के आधार पर। जिसमें 09 वृक्ष चाहरदीवारी के अन्दर, 02 सड़क किनारे एवं 7 बाउण्ड्री के बाहर खड़े है।

उक्त वृक्ष पातन की अनुमति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है।

1. पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन तक के लिए यह पातन अनुज्ञा वैध होगी। भू-स्वामी द्वारा निश्चित रूप से इस अवधि में उक्त वृक्षों का पातन करना होगा।
2. पत्र जारी होने की तिथि से 01माह के अन्दर उक्त वृक्षों के पातन के पश्चात आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड इमारती लकडी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली-2012 के प्राविधानानुसार प्रकाष्ठ के निकासी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. उक्त पेडों का पातन सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद नही किया जायेगा।
4. उक्त पेडों के पातन स्थलों का निरीक्षण उद्यान विभाग के किसी भी क्षेत्रीय ज्ये030नि0/प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र या नामित कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
5. उक्त पेडों के पातन हेतु भू-स्वामी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी तथ्य का किसी भी समय असत्य पाये जाने पर पातन अनुज्ञा को स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
6. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्ति) की धारा-7 के प्राविधानानुसार प्रत्येक पातित वृक्ष के सापेक्ष दुगने संख्या में पौधों का रोपण चिन्हित स्थलों पर भू-स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। रोपित पौधों की देख-रेख सम्बन्धित भू-स्वामी द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन, प्रजाति का चयन, व रोपित पौध की जीवितता सम्बन्धित उद्यान विभग के प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उक्तानुसार भू-स्वामी द्वारा वृक्षारोपण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने की दशा में भू-स्वामी के व्यय पर विभागीय वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।
8. उक्तानुसार पातन स्थल पर किसी प्रकार की अवैध पातन के लिए भू-स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा। तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित धाराओं में कार्यवाही अपनाइ जायेगी।
9. उक्त पातन अनुज्ञा प्रभारी की संस्तुति एवं निरीक्षण उपरान्त निर्गत की गई है। उक्त वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

उक्त शर्तो/प्रतिबन्धों के उल्लघंन होने की दशा में प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्ति) की धारा-15 की उपधारा(1) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी
देहरादून।

पत्रांक 3294 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर देहरादून।
2. प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र विकासनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वृक्षो का पातन अपने सम्मुख करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपकी जिम्मेदारी नियत की जाती है।
3. थानाध्यक्ष विकासनगर देहरादून।
4. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कालसी जनपद देहरादून।

मुख्य उद्यान अधिकारी,

श्रीमती रेणु बडोनी व0 (SP)

19-11-24

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

संलग्नक-05